74

बाब फ़ीट

न्यायालय माननीय राजस्व म०डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   ।२०१४ निगरानी R 2292-I/14

महिला बुधिया बाई पुत्री मंगला पत्नी श्री नबाव सिंह यादव , निवासिन ग्राम-सुजमा हाल निवासिन ग्राम जारोनी, तेहसील व जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

---- प्राथिया

विरुद्ध

१- कमल सिंह,

२- उत्तम सिंह

निवासीगण ग्राम सुजमा, तेहसील कैलारस जिला मुरैना (म०प्र०) ।

३- महिला रामबाई पुत्री मंगला पत्नी श्री कप्तान सिंह यादव निवासिन ग्राम सुजमा, हाल निवासिन छत्री मण्डी, भूरे बाबा की वस्ती, लश्कर-ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

----- प्रतिप्राथीगण

श्री एस०के० अवस्थी एडवो० द्वारा आज दि० 28-7-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-7-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना, दिनांक १६-६-१४, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २१। ।१३-१४ विविध ।

श्रीमान् जी,

प्राथना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा गया है ।

३- यह कि, अपर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा ३२- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ सहपठित आदेश २३ नियम १सीपीसी

क्रमश:---२

R- 2292-I/14 (पुराना)

8.9.16.

प्रकरण आज नियत पेशी पर।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] निर्देश [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]